

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक- 334453

पटना, दिनांक- 31/10/17

गा0वि0-5/आधार (PEC प्रति0)-14-04/2017

प्रेषक,

कनक बाला,
उप सचिव ।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त,
पटना ।

विषय : आधार परियोजना अंतर्गत विभिन्न एजेंसियों के आधार केन्द्र को सरकारी परिसर में स्थान/स्थल उपलब्ध कराने के संबंध में ।

प्रसंग : आपके पत्र संख्या- 1801, दिनांक- 16.09.2017

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा मांगे गये मार्गदर्शन के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्र संख्या- 329051, दिनांक- 19.09.2017 (प्रति संलग्न) के द्वारा सरकारी परिसरों में पंजीकरण केन्द्रों के स्थानान्तरण के संबंध में विस्तारित दिशानिदेश सभी जिलों को दिये गये हैं । विदित हो कि राज्य पंजीयक के अंतर्गत कार्यरत पंजीकरण एजेंसियों के अतिरिक्त गैर राज्य पंजीयक के अंतर्गत कार्यरत पंजीकरण एजेंसियों को वैसे सरकारी परिसरों में आवश्यकता का आकलन करते हुए स्थान आवंटित किया जा सकता है, जहाँ पर राज्य पंजीयक (ग्रामीण विकास विभाग) के द्वारा प्राधिकृत एजेंसी ई.एम.डी. डिजिट्रॉनिक्स प्रा0 लि0 द्वारा स्थाई आधार पंजीकरण केन्द्र (PEC) का संचालन नहीं किया गया है । यह ध्यान रखा जाय कि NSR (गैर राज्य पंजीयक) एजेंसी को सरकारी भवन निर्धारित किराया प्राप्त कर ही आवंटित किया जाय।

अनु0:-यथोक्त ।

विश्वासभाजन



(कनक बाला)

उप सचिव

जापांक- 334453

पटना, दिनांक- 31/10/17


प्रतिलिपि:- ग्रामीण विकास विभाग (राज्य पंजीयक) के अंतर्गत कार्यरत सभी पंजीकरण एजेंसी को सूचनार्थ प्रेषित।


उप सचिव

जापांक- 334453

पटना, दिनांक- 31/10/17


प्रतिलिपि:- सभी जिला पदाधिकारी /सभी उप विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उप सचिव

जापांक- 334453

पटना, दिनांक- 31/10/17

प्रतिलिपि:- सहायक महानिदेशक, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI), बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


उप सचिव

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक- 329051
गा0वि0-5 आधार (परि0)-14-11/2017

पटना, दिनांक- 19/9/17

प्रेषक,

राहुल रंजन महिवाल,
अपर सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार ।

विषय : आधार पंजीकरण केन्द्रों को सुरक्षित सरकारी परिसरों में स्थानान्तरित किये जाने के संबंध में ।

प्रसंग :- सहायक महानिदेशक, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI), भारत सरकार के कार्यालय जापन संख्या- 4(41/227/2014/E&U-pt. दिनांक- 04.08.2017

महाशय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक कार्यालय जापन (प्रति संलग्न) के आलोक में कहना है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक-09.06.2017 के अनुपालन में नागरिकों के बायोमैट्रिक तथा निजी डाटा को सुरक्षित रखने के लिए आधार पंजीकरण केन्द्रों को सरकारी परिसरों में स्थानान्तरित कराया जाना है । इस संबंध में पूर्व में भी मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI), भारत सरकार से प्राप्त पत्र (प्रति संलग्न) के आलोक में विभागीय पत्र संख्या- 318608, दिनांक- 24.07.2017 (प्रति संलग्न) के द्वारा भी सरकारी परिसरों में आधार पंजीकरण कराने हेतु लिखा गया है ।


विदित है कि राज्य पंजीयक (ग्रामीण विकास विभाग) के द्वारा चयनित पंजीकरण एजेंसियों के द्वारा भी अभी तक कुल 861 सरकारी परिसरों में स्थायी आधार पंजीकरण केन्द्रों (PEC) की स्थापना कराई जा चुकी है। उपरोक्त सरकारी परिसर के अलावा भी आवश्यकता के आकलन के अनुसार राज्य पंजीयक के अंतर्गत कार्यरत पूर्व से अन्य एजेंसियों से भी राज्य के नागरिकों के आधार पंजीकरण हेतु विभाग एवं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, से प्राप्त सहमति के आलोक में सरकारी परिसरों में स्थान आवंटित किया जा सकता है। यह कार्य पूर्ण कर लेने की समय-सीमा दिनांक- 30.09.2017 तक (UIDAI), के द्वारा निर्धारित की गई है। परन्तु बिहार राज्य में कतिपय जिलों में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए उन जिलों में इसकी समय-सीमा एक माह तक बढ़ाई जा सकती है ।

राज्य पंजीयक के अंतर्गत उन पंजीकरण एजेंसियों की सूची जो सरकारी परिसरों में अपने पंजीकरण किटस स्थापित कर चुकी है, सुलभ प्रसंग हेतु पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जाती है।

अतः अनुरोध है कि उन सरकारी परिसरों को छोड़कर जहाँ स्थायी पंजीकरण केन्द्र (PEC) पूर्व से कार्यरत है, शेष अन्य सभी स्थाई / अस्थाई आधार पंजीकरण केन्द्रों को चिन्हित सरकारी कार्यालयों में स्थापित कराना सुनिश्चित किया जाय। जिन सरकारी परिसरों में आधार केन्द्र स्थानांतरित किया जाय, वे सुरक्षित हों तथा कार्यालय प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि आधार पंजीकरण किट परिसर से बाहर प्रयुक्त न किया जा सके।

अनुलग्नक: यथोक्त।

विश्वासभाजन


(राहुल रज्ज महीवाल)

अपर सचिव

जापांक- 329051

पटना, दिनांक- 19/9/17

प्रतिलिपि:- सभी उप विकास आयुक्त, बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव

जापांक- 329051

पटना, दिनांक- 19/9/17

प्रतिलिपि:- उप महानिदेशक, (UIDAI), क्षेत्रीय कार्यालय, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव

जापांक- 329051

पटना, दिनांक- 19/9/17

प्रतिलिपि:- सहायक महानिदेशक, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI), ललित भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव